सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 230/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :—25.10.2023

GCMS ID—2023/23

1. कालूलाल आ0 लालू जाति बैरवा निवासी मांगली कलां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. छोटा आ0 लालू जाति बैरवा निवासी मांगली कलां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राधाकिशन आ0 लालू जाति बैरवा निवासी मांगली कलां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. प्रहलाद आ0 लालू ज़ाति बैरवा निवासी मांगली कलां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. सुवालाल आ0 लालू जाति बैरवा निवासी मांगली कलां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 16/05/2025

## निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 698/59 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, खसरा संख्या 700/61 रकबा 0.2347 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगली कंला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। खसरा संख्या 59 एक बडा रकबा है जिसमें से 0.5747 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जिसका खसरा संख्या 698/59 है। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा रिकॉर्डेड रास्ता खसरा संख्या 58 के सहारे खसरा संख्या 700/61 तक सडक के सहारे—सहारे है एवं सडक के सहारे ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे है तथा शेष भूमि पर कृषि कार्य पर परिवार का गुर्जर बसर कर रहे है। मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे का प्रस्तावित नक्शा संलग्न प्रार्थना है जो प्रार्थना पत्र का अभन्न अंग है। डी0आरए0एल0एम0पी योजना के तहत राज्य सरकार ने एक निश्चित समय में सभी खातेदारों की भूमियों की तरमीमें नक्शें में करने के निर्देश जारी किये थे और उक्त निर्देशों की पालना निर्धारित अवधि में पटवारी, कानूनगों द्वारा करनी थी, लेकिन अल्प अवधि में सभी



उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

कृषि भूमियों पर जाकर कब्जे का भौतिक सत्यापन करना सम्भव नहीं होने से पटवारी कानूनगों द्वारा दफतर में बैठ कर भूमियों की तरमीम कर दी गई। इसी अनुक्रम में प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 698/59 की तरमीम भी मौके का भौतिक सत्यापन किये बिना कब्जे से भिन्न स्थान पर कर दी गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम कब्जे से भिन्न स्थान पर कर दिये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। तरमीम का मुख्य आधार कब्जा होता है और कब्जे के अनुसार ही तरमीम किये जाने के प्रावधान है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की भूमि की गई के संबंध में मौके में मौके एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट मंगवाकर तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त कर कब्जे के अनुरूप तरमीम करने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण ने गत मार्च 2023 में अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी गई जिसमें पटवारी हल्का ने तरमीम गलत हाने से सीमाज्ञान करने से इंकार कर दिया तब प्रथम बार प्रार्थीगण को उक्त गलत तरमीम के इन्द्राज की जानकारी हुई औरा उक्त जानकारी होने के उपरांत तहसीलदार हिण्डोली से तरमीम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया लेकिन अंतिम बार दिनांक 05.10.2023 को तरमीम के इन्द्राज को न्यायालय के आदेश के बिना दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। नक्शे/मानचित्र में की गई गलत प्रविष्टियों का निरस्त/दुरूस्त करने का धारा 131 एल0आर0एक्ट के तहत श्रीमान को अधिकार प्राप्त है। भूमि ग्राम मांगली कला तहसील जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मांगलीकला के मानचित्र/नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 698/59 की गलत तरमीम के इन्द्राज को निरस्त कर कब्जे के अनुसार रिकार्डेड रास्ता खसरा संख्या 58 के सहारे–सहारे खसरा संख्या 700/61 तक प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा पूर्व में की हुई तरमीम को निरस्त कर प्रस्तावित तरमीम अनुसार तरमीम किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :–राजस्व/25/865 दिनांक 23.04.2025 अनुसार खाता संख्या 226 के खसरा संख्या 698/59 व 700/61 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 698/59 व 700/61 के खातेदार नजदीक सीमा पर है। परन्तु मौके पर



उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

खसरा नम्बर 59 बीच में है। प्रार्थीगण का कब्जा खसरा संख्या 59 के दक्षिण में है व नक्शा शीट खसरा नम्बर 59, खसरा संख्या 698/59 के पश्चिम दिशा में है। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 698/59 की तरमीम उनके कब्जे काश्त अनुसार खसरा संख्या 58 के सहारे संलग्न नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तावित है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत ''सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसीं गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''**

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 698/59 की तरमीम दुरूस्ती बाबत पेश किया है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के खसरा संख्या 698/59 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## –: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 226 के खसरा संख्या 698/59 रकबा 0.5747 हैक्टैयर वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खाता संख्या 226 के खसरा संख्या 698/59 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 16.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

16/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

Email-sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446